"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2013—पौष 10, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-12/आठ-परि./2013.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा - 112 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा जन सुरक्षा और सुविधा के हित में नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2), (4) एवं (3) में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः मोटरयानों के प्रकार, उनकी गति सीमा तथा निर्बंधन के क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र. (1)	मोटरयान का प्रकार (2)	क्षेत्र जिसमें निर्बंधन रहेगा (3)	गति सीमा (4)
1.	प्रक्रम वाहन नगर सेवा	नगर सीमा और अधिसूचित पार्श्वस्थ क्षेत्र	25 कि.मी. प्रति घंटा
2.	शैक्षणिक संस्था बसें / शैक्षणिक संस्था द्वारा किराए पर ली गई बसें	अनुज्ञा-पत्र के अनुसार क्षेत्र	25 कि.मी. प्रति घंटा
3.	नगर सेवा को छोड़कर प्रक्रम वाहन अथवा 07 सीट से अधिक का संविदा वाहन	नगर - निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	30 कि.मी. प्रति घंटा

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	निजी वाहन सेवा	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	30 कि.मी. प्रति घंटा
5.	ओमनी वाहन (परिवहन)	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	25 कि.मी. प्रति घंटा
6.	हल्के माल यानों को छोड़कर ट्रेलर सहित या रहित माल यानें	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	20 कि.मी. प्रति घंटा
7.	हल्के माल वाहन	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	30 कि.मी. प्रति घंटा
8.	मोटर–कैब	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	25 कि.मी. प्रति घंटा
9.	मेक्सी–कैब	नगर–निगम या नगर पालिक समिति के क्षेत्राधिकार के भीतर	25 कि.मी. प्रति घंटा

टीप: (1) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उप–धारा (2) में यथा उल्लिखित, अन्य शर्तों का संबंधित विभागों के द्वारा पालन किया जायेगा।

(2) प्रकम वाहन नगर सेवा तथा शिक्षण संस्था की बसें/शैक्षणिक संस्था द्वारा किराये पर ली गई बसों में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम–118 के अंतर्गत गति नियंत्रक लगाये जायेंगे।

(3) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय स्थिति पर विचार करते हुए, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1988(1988 का 59) की धारा 112 सहपठित छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम–217 के अंतर्गत गति को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(4) यह अधिसूचना सभी संबंधित विभागों को, विशेष रूप से समस्त जिलाधीशों एवं पुलिस अधीक्षकों को अग्रेषित की जायेगी।

(5) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 31st December 2013

NOTIFICATION

No. F-5-12/viii-Trans/2013. —In the interest of public safety and convenience, the State Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section, 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), hereby, restricts the type of motor vehicle, their speed limit and the area of restriction as specified under column (2), (4) and (3) respectively, of the Table below :-

TABLE

S. No.	Type of Motor Vehicle	Area in which Restricted	Speed limit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Stage Carriage Cityservice	City limit and notified adjacent area.	25 kms per hour
2.	Educational Institution Buses / Buses hired by educational Institutions.	Area as per permit.	25 kms per hour
3.	Stage Carriages other than City services or Contract Carriages of more than 07 seats.	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	30 kms per hour
4.	Private Service Vehicle.	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	30 kms per hour

5.	Omni Buses (Transport)	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	25 kms per hour
6.	Goods Vehicles, other than Light Goods Vehicles with or without Trailor.	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	20 kms per hour
7.	Light Goods Vehicles.	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	30 kms per hour
8.	Motor-Cabs	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	25 kms per hour
9.	Maxi-Cabs	Within the area of Municipal Corporation or Municipal Committee.	25 kms per hour

Note: (1) Other conditions as mentioned in sub-section (2) of section 112, of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) shall be followed by the respective departments.

(2) Stage Carriage City services and Educational Institution Buses/ buses hire by Educational Institutions shall be fitted with a speed governor under Rule-118 of the Central Motor Vehicle Rule, 1989.

(3) Notwithstanding anything contained in this notification the District Magistrate considering the local condition shall be free to restrict the speed under section, 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) read with rule, 217 of Chhattishgarh Motor Vehicle Rules, 1994.

(4) This notification shall be forwarded to all the concerned department particularly Collectors of all Districts and all Superintendent of Police.

(5) This notification shall come into force from the date of publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EMIL LAKDA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.